द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2772/2013

श्री नवाब अहमद, — अपीलार्थी
शास्त्री चौक के पास,
वार्ड नं0 16, तुलसीपुर
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री डी0के0 माथुर, — उत्तरवादी क्रं0 01
जनसूचना अधिकारी/अवरसचिव,
छ0ग0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय,
नया रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

श्री बी0आनंद0 बाबू, — उत्तरवादी क्रं0 02
प्रथम अपीलीय अधिकारी/उपसचिव,
छ0ग0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय,
नया रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—
(पारित दिनांक : 12/09/2014)

प्रकरण प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री नवाब अहमद, शास्त्री चौक के पास वार्ड नं. 16, तुलसीपुर, जिला राजनांदगांव उपस्थित। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी डी.के. माथुर, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर अनुपस्थित।

प्रकरण संक्षेप में यह है कि अपीलार्थी ने एक आवेदन पत्र दिनांक 29/09/2011 को प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर से चिकित्सा नियमवाली स. क्रमांक 2 में दी गई टीप पर अभिमत प्रदान करने की जानकारी मांगी गई। यह आवेदन पत्र पहले शासन के वित्त विभाग, मंत्रालय और फिर स्वास्थ्य विभाग को अंतरित किया गया था। छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय रायुपर ने पत्र क्रमांक 8113 दिनांक 28/11/2011 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि जानकारी काल्पनिक एवं व्याख्यात्मक स्वरूप का होने फलस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्रमांक 523/जी 1312/2009/1—सू.अ.प्र. दिनांक 15/03/2010 के परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा अमान्य किया जाता है। अपीलार्थी के पास पत्र दिनांक 28/11/2012 उपलब्ध जिससे ज्ञात होता है कि उस पर दिनांक 12/12/2011 की सील लगी हुई है अर्थात यह मान सकते है कि 20/12/2011 को मिल गया होगा। इससे असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील दिनांक 09/02/2012 प्रस्तुत किया गया जिसका अपीलार्थी के अनुसार लिफाफा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा लेने से इंकार किया

गया। उल्लेखनीय है कि उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का विनिश्चय दिनांक 20/12/2011 अपीलार्थी को मिल जाना माना जावे तो भी प्रथम अपील समय बधित थी। तद्पश्चात यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी को सुना गया। उनका कहना है कि जिस टीप के संबंध में सूचना मांगी गई है वह यह है कि शिक्षा आदि के कारण यदि परिवार का आश्रित सदस्य मुख्यालय से बाहर रहते है तो भी उन्हें चिकित्सीय व्यय पर किये गये व्यय को प्रतिपूर्ति किये जायेगी। उनके परिवार का सदस्य भोपाल मे रहतें है परन्तु उनका कार्यालय उनके परिवार के सदस्य के चिकित्सा व्यय को स्वीकृत नहीं कर रहा है। इसलिए यह सूचना/जानकारी अभिमत के रूप में मांगी गयी थी।

प्रकरण में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया है कि प्रथम अपील का पत्र लेने से इंकार करने की बात सही नहीं है एवं कहा गया है कि अपीलार्थी को दिये गये जवाब कि काल्पनिक एवं व्याख्यात्मक स्वरूप की जानकारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है, को सही बताया गया है।

अपीलार्थी के पास प्रथम अपील का लिफाफा उपलब्ध है उसे देखने से ज्ञात होता है कि पोस्ट आफिस की टीप है कि लेने से इंकार किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 6454, **SLP(C) No. 7526/2009, Central board of secondry education & Anr. Vs Aaditya Bandopadhyaya & Ors.** में पाया गया है कि रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी ही प्रदान की जा सकती है उसे एकत्रित कर या संकलित कर देना अधिनियम के प्रावधान में अपेक्षित नहीं है। इस न्याय दृष्टांत से यह भी पाया गया कि निष्कर्ष निकलकर देना, सलाह देना भी अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी ने जो सूचना मांगी थी उसमे अभिमत मांगा गया था जो निकर्ष निकल कर देना, सलाह देना की श्रेणी में आता है इसलिए ऐसी सूचना दिया जाना अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है इस प्रकार जनसूचना अधिकारी का अपीलार्थी का दिया गया जवाब सर्वोथा उचित था।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह द्वितीय अपील आधारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त